Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 45–2025] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025 (KARTIKA 15, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग
(भवन एवं मार्ग शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 अक्तूबर, 2025

प्रारूप समेकन स्कीम

संख्या 2163/R.— मंडी आदमपुर जिला हिसार में आदमपुर दड़ौली रोड़ से आदमपुर भादरा रोड़ (SH-10) को जोड़ने के लिए बाईपास के निर्माण (Construction of Adampur Bye pass road from Adampur Daroli road to Adampur Bhadra road Km 0-00 to 2-357 in Hisar District Adampur Constituency) परियोजना के सम्बन्ध में हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध)अधिनियम, 2017 की धारा 8 व हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018 के नियम 3 (iii) के अन्तर्गत परियोजना भूमि की प्रारूप समेकन स्कीमः –

पैरा न०1 हरियाणा राज्य के राजस्व अभिलेख के अनुसार मंडी आदमपुर जिला हिसार में हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग (भवन एंव मार्ग शाखा) द्वारा आदमपुर दड़ौली रोड़ से आदमपुर भादरा रोड़ (SH-10) जोड़ने के लिए बाईपास के निर्माण परियोजना हेतू ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि मालिको की सहमति से खारा बरवाला में हदबस्त नं0 33 व गाँव मंडी आदमपुर में हदबस्त नं० 34 का कुल रकबा 3.76 एकड़ उक्त बाईपास निर्माण हेतू भूमि की खरीद की जानी थी। उक्त एकड़ में से भू–स्वामियों द्वारा अपनी इच्छा से कुल भूमि का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र की सेल डीड लोक निर्माण विभाग (भवन एंव मार्ग शाखा) के नाम करवाई जा चुकी है। तत्पश्चात् उपरोक्त परियोजना हेतू आवश्यक शेष निजी भूमि 0.10 एकड़ के कारण परियोजना की व्यवहार्यता हेतु परियोजना भूमि को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 की धारा 5 में समेकन हेतु अधिसूचित करवाया जा चुका है।

पैरा न०–2 परियोजना भूमि के रूप में घोषित परियोजना भूमि की 70 प्रतिशत से अधिक भूमि लोक निर्माण विभाग (भवन एंव मार्ग शाखा) हरियाणा द्वारा खरीदी जा चुकी है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता हेतु शेष निजी भूमि के भू–खण्डों के दृष्टिगत परियोजना भूमि का समेकन किया जाना है। जिस पर हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 तथा हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018 लागू होगें।

पैरा न०–3 परियोजना भूमि के समेकन के कार्य को करने हेतु हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 की धारा 4(1) के अन्तर्गत उपमण्डल अधिकारी (ना०), हिसार को मंडी आदमपुर तहसील के क्षेत्र में स्थित परियोजना भूमि के समेकन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित कर शक्तियां प्रदान की गई है और उनको इस कार्य के सहयोग के लिए आवश्यकता अनुसार हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर व अन्य कर्मचारी उपलब्ध हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018 के नियम 3 के अन्तर्गत शक्तियों, कार्यो तथा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा।

पैरा न०–4 इस परियोजना की भूमि समेकन हेतु प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा। जिसमे भूमि के इन्डेक्स नम्बरान खसरा, सजरा तजवीजी, परियोजना चकबन्दी, खतौनी, फील्ड बुक, ततीमा सजरा, रेजुलेशन समेकन व पास बुक तैयार की जायेगी और परियोजना भूमि के लिए बनने वाली अन्तिम समेकन स्कीम के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

पैरा न०–5 मंडी आदमपुर जिला हिसार में आदमपुर दड़ौली रोड़ से आदमपुर भादरा रोड़ (SH-10) को जोड़ने के लिए बाईपास के निर्माण परियोजना की कुल परियोजना भूमि 3.76 एकड़ है, जिसमे सजरा अनुसार मंडी आदमपुर के किला नम्बरान 121//21/2/2 जिनका कुल रकबा 0.10 एकड़ उक्त परियोजना हेतु रिर्जव रहेगा।

पैरा न०–6 परियोजना के समेकन हेतु हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुरूप निजी भूमि के रह गए भू–खण्डो के स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। जिसमें मुकेश पुत्र श्री राम नारायण पुत्र सही राम व निवासी गांव आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार द्वारा नोटिस के जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना कि है कि उसकी अधिक्रत की जा रही भूमि के एवज में सामने लगती पंचायती भूमि में से भूमि दिलवाई जाए। जिसके संदर्भ में सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें) हिसार व जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी हिसार को अधिग्रहित की जा रही भूमि के एवज में भूमि दिलवाने के सम्बधं में सरकार की कोई हिदायत या Precedents के बारे में लिखा गया था। जिसके सम्बधं में अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें) हिसार द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए लिखा है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि के एवज में भूमि दिलवाने के सम्बधं में सरकार की कोई हिदायत या Precedents ना है। जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी हिसार द्वारा अवगत करवाया गया कि एचसीपीएल (एसपी हरियाणा एक्ट 28 ऑफ 2017 की धारा 4) के अंतर्गत प्रार्थी की अधिग्रहण की जा रही भूमि मे एवज में सामने लगती पंचायती भूमि मे से भूमि दिलवाने बारे का पंचायती राज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भू–खण्ड स्वामी द्वारा नोटिस द्वारा कोई जवाब ना दिया गया है। अतः धारा 7 व 8 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 7 (i) के विकल्प का विनिश्चय करते हुए शेष भूमि जो उक्त परियोजना से सम्बन्धित है का प्रतिकर (कम्पनसेशन) कलेक्टर दर जमा बीस प्रतिशत (Construction Site) व कार्यकारी अभियंता प्रांतीय समभाग न0 1, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) हिसार से प्राप्त निर्माण के लिए मुआवजा रिपोर्ट (प्रति साथ संलग्न) के आधार पर परियोजना भूमि के समेकन हेतु यह प्रारूप समेकन स्कीम अधिसूचित की जाती है।

पैरा न०–7 मंडी आदमपुर जिला हिसार में आदमपुर दड़ौली रोड़ से आदमपुर भादरा रोड़ (SH-10) को जोड़ने के लिए बाईपास के निर्माण परियोजना की कुल परियोजना भूमि 3.76 एकड़ है, जिसमें गाँव मंडी आदमपुर हदबस्त न0 34 जिला हिसार की परियोजना भूमि के समेकन पश्चात् 0.10 एकड़ के सभी भूस्वामियों का मालकाना हक खत्म हो जाएगा तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परियोजना भूमि के क्षेत्र का उक्त सरकारी विभाग के पक्ष में इन्तकाल किया जाएगा।

पैरा न०–8 मंडी आदमपुर जिला हिसार में आदमपुर दड़ौली रोड़ से आदमपुर भादरा रोड़ (SH-10) को जोड़ने के लिए बाईपास के निर्माण परियोजना की परियोजना भूमि के समेकन के दौरान किसी भूस्वामी की भूमि में चाह, कोठरी/कमरा, मकानात, बाग, टयूबैल फैक्ट्री आदि निर्मित किया हुआ पाया जाएगा तो इस प्रकार के ढांचे की कीमत का आकलन कार्यकारी अभियन्ता, पी०डब्लयु०डी०(बी0एण्ड0आर0) द्वारा करवाया जाएगा व पाये जाने वाले ढांचे की आकलन पर निर्धारित की गई कीमत के अनुसार प्रतिकर (कम्पनसेशन) सम्बन्धित भू–स्वामी को अदा की जायेंगी।

पैरा न०–9 सक्षम प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना०), हिसार द्वारा 2017 के अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार यह प्रारूप समेकन स्कीम तैयार की गई है जिसकी अधिसूचना के 15 दिनों के अन्दर–अन्दर हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आक्षेप दिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 (2) और नियम 3 (iv) के अनुसार प्राप्त आक्षेपों पर निर्णय आक्षेप दायर करने की अन्तिम तिथी से एक मास के भीतर निर्णय करेगा व अन्तिम समेकन स्कीम को धारा 9 व नियम 3(v) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा जिसके प्रकाशन के बाद धारा 9ए (1) के अन्तर्गत उपायुक्त हिसार के समक्ष अपील की जा सकती हैं जिन पर निर्णय प्राप्त होने पश्चात् आवश्यकता अनुसार संशोधित अन्तिम समेकन स्कीम को अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

पैरा न०– 10 सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2017 के अधिनियम की धारा 10 और नियम 3(VI) के अनुरूप अन्ततः पारित स्कीम अनुसार निजी भूमि के रह गए भू–खण्डों का कब्जा लिया जाएगा व प्रतिकर (कम्पनसेशन) संवितरित किया जाएगा व तत्पश्चात् धारा 11 व नियम 7 के अनुरूप अन्तिम समेकन स्कीम के अनुसार लोक निर्माण विभाग (भवन एंव मार्ग शाखा) के पक्ष में राजस्व अभिलेख को अद्यतन किया जाएगा।

(हस्ता०)...,
उपमण्डल अधिकारी (ना०), हिसार एवम्
अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th October, 2025

Draft Consolidation Scheme

No. 2163/R.— Regarding the project "Construction of Adampur Bypass Road from Adampur Daroli Road to Adampur Bhadra Road (SH-10), Km 0.00 to 2.357 in Hisar District, Adampur Constituency" under Section 8 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 and Rule 3(iii) of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Rules, 2018, the Draft Consolidation Scheme of the Project Land is as follows:

Para 1: As per the revenue records of Haryana State, for the construction of a bypass to connect Adampur Daroli Road with Adampur Bhadra Road (SH-10) in Mandi Adampur, District Hisar, a total area of 3.76 acres located in Hadbast No. 33 (Khara Barwala) and Hadbast No. 34 (Mandi Adampur) was proposed to be purchased through the e-Bhoomi portal with the consent of landowners. Out of this, more than 70% of the land area has already been purchased by the Public Works Department (Buildings & Roads), Haryana, through registered sale deeds. Subsequently, to make the project viable due to the remaining required private land of 0.10 acre, the project land has been notified under Section 5 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 for consolidation.

Para 2: More than 70% of the project land has already been purchased by the Public Works Department (Buildings & Roads Branch), Haryana. As per Section 3 of the said Act, the remaining private land parcels required for the viability of the project are to be consolidated. Accordingly, the provisions of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 and Rules, 2018 shall apply.

Para 3: For executing the land consolidation work of the project, under Section 4(1) of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017, the Sub-Divisional Officer (Civil), Hisar, has been appointed as the Competent Authority for the consolidation of the project land in Tehsil Mandi Adampur. He shall be assisted by Patwari, Girdawar, and other necessary staff as required. The Competent Authority shall exercise the powers and discharge duties as prescribed under Rule 3 of the 2018 Rules.

Para 4: Preliminary records will be prepared for this project land consolidation, which shall include land index numbers, Khasra numbers, Sajra (map), proposed consolidation plan, Khatauni (record of rights), field book, Tatima Sajra (field map), resolution of consolidation, and passbook. Actions will be implemented in accordance with the final Consolidation Scheme to be prepared for the project land.

Para 5: The total project land for the construction of the Adampur bypass road from Adampur Daroli Road to Adampur Bhadra Road (SH-10) in Mandi Adampur, District Hisar is 3.76 acres, out of which, as per the revenue map (Sajra), Kila Number 121//21/2/2 in Mandi Adampur with an area of 0.10 acre shall be reserved for the said project.

Para 6: As per Section 6 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017, notices were issued to the owners of the remaining private land parcels. One such landowner, Mr. Mukesh S/o Shri Ram Narayan S/o Sahi Ram, resident of Village Adampur, Tehsil Adampur, District Hisar, submitted a reply requesting that in lieu of his acquired land, he be allotted land from the adjoining Panchayati land. Regarding this, the Competent Authority wrote to the Superintending Engineer, PWD (B&R), Hisar and the District Development & Panchayat Officer, Hisar to inquire whether there are any government instructions or precedents for such allotment. The Superintending Engineer responded stating that there are no such instructions or precedents from the government. District Development and Panchayat Officer, Hisar also responded stating that there is no provision in the Panchayati Raj Act regarding providing land regarding the referenced letter, it is requested that there is no provision in the Panchayati Raj Act regarding providing land from the adjacent Panchayat land in lieu of the land being acquired from the applicant under Section 4 of the HCPL (SP Haryana Act 28 of 2017). The above is sent to your service for information and further necessary action. Do (C), Hisar. No other landowner has responded to the notices. Therefore, exercising the powers under Sections 7 and 8(1), and opting for the alternative under Section 7(i), the remaining land required for the project shall be consolidated by awarding compensation based on Collector rates plus 20% (Construction Site) and as per the compensation report (copy enclosed) for structure received from the Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD (B&R), Hisar. Hence, this Draft Consolidation Scheme is hereby notified.

Para 7: After consolidation of the 0.10 acre of land in Village Mandi Adampur, Hadbast No. 34, District Hisar for the bypass road project connecting Adampur Daroli Road and Adampur Bhadra Road (SH-10), all ownership rights of the concerned landowners shall be terminated and the said area shall be mutated in favour of the concerned government department as per the prescribed procedure.

Para 8: If any well, room, house, orchard, tubewell, factory, or other structure is found on the land of any landowner during the process of land consolidation for the project, the valuation of such structures shall be done by the Executive Engineer, PWD (B&R), and compensation will be paid to the concerned landowner based on the assessed value.

Para 9: This Draft Consolidation Scheme has been prepared by the Competent Authority cum Sub-Divisional Officer (Civil), Hisar under Section 8(1) of the 2017 Act. Objections, if any, can be submitted by interested persons within 15 days of the publication of this notification. The Competent Authority shall decide upon the objections within one month from the last date of filing objections as per Section 8(2) of the Act and Rule 3(iv). Thereafter, the Final Consolidation Scheme shall be notified under Section 9 and Rule 3(v). Appeals against the final scheme may be filed before the Deputy Commissioner, Hisar under Section 9A (1). Based on the decisions of such appeals, if required, the final Consolidation Scheme shall be revised and notified accordingly.

Para 10: As per Section 10 of the 2017 Act and Rule 3(vi), possession of the remaining private land parcels shall be taken in accordance with the finally approved scheme, and compensation shall be disbursed. Thereafter, as per Section 11 and Rule 7, the revenue records shall be updated in favor of the Public Works Department (Buildings & Roads Branch).

(Sd.)…,
Sub-Divisional Officer (Civil), Hisar and
Competent Authority under the Act.

12189—C.S.—H.G.P., Pkl.